रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1257] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 5, 2017/वैशाख 15, 1939
No. 1257] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 5, 2017/VAISAKHA 15, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मई, 2017

का.आ. 1420(अ).—केंद्रीय सरकार, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 43 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 372(अ), तारीख 5 फरवरी, 2016 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम संख्या 25 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)
"25.	तेलंगाना	महानगर सेशन न्यायाधीश का न्यायालय, हैदराबाद	हैदराबाद, अदीलाबाद, निजामाबाद, करीमनगर, मेडक, वारंगल और खम्माम के सेशन खंड।
		महानगर सेशन न्यायाधीश का न्यायालय, साइबराबाद	साइबराबाद, रंगारेड्डी, महबूबनगर और नालगोंडा के सेशन खंड।
		केन्द्रीय जांच ब्यूरो मामलों के विचारण के लिए प्रधान विशेष न्यायाधीश का न्यायालय, हैदराबाद।	धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 मामलों के संबंध में, जो केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा किए गए अन्वेषणों/फाइल किए गए आरोपपत्रों, से उत्पन्न हुए हैं, के संबंध में तेलंगाना राज्य के सभी सेशन खंड।"

[फा. सं. सी-18015/3/2013-ऐड.ईडी]

संतोष कुमार, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना का.आ. 372(अ), तारीख 5 फरवरी, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात का.आ. 966(अ), तारीख 27 मार्च, 2017 द्वारा संशोधन की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th May, 2017

S.O. 1420(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 43 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003) and in consultation with the Chief Justice of the concerned High Court, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 372(E), dated the 5th February, 2016, namely :—

In the Table to the said notification, for serial number 25 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :—

(1)	(2)	(3)	(4)
"25.	Telangana	Court of Metropolitan Sessions Judge, Hyderabad	Sessions Divisions of Hyderabad, Adilabad, Nizamabad, Karimnagar Medak, Warangal and Khammam.
		Court of Metropolitan Sessions Judge, Cyberabad	Sessions Divisions of Cyberabad, Ranga Reddy, Mahabubnagar and Nalgonda
		Court of Principal Special Judge for trial of CBI cases, Hyderabad.	All Sessions Divisions of Telangana State in respect of the Prevention of Money-Laundering Act, 2002 cases arising out of investigations conducted/ Charge Sheets filed by CBI".

[F. No. C-18015/3/2013-Ad.ED]

SANTOSH KUMAR, Under Secy.

Note : The principal notification was published vide number S.O.372(E), dated the 5th February, 2016 and subsequently amended vide number S.O. 966(E), dated the 27th March, 2017.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.05.06 15:17:09 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.